<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–20, कानपुर नगर।</u>
<u>जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2853/2023</u>
<u>CNR No–UPKN010067452023</u>

1– सौरभ श्रीवास्तव उम्र लगभग 28 वर्ष पुत्र स्व० श्याम जी श्रीवास्तव निवासी–म०नं०–30 हिरन नगर उन्नाव जिला उन्नाव।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

1– उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), कानपुर नगर।

.....विपक्षी/अभियोगी।

मुकदमा अपराध संख्या–124/2023
अंतर्गत धारा–379,411 भा.द.सं.
थाना–ग्वालटोली, जिला–कानपुर नगर।

<u>दिनांक–08.08.2023</u>

प्रार्थी/अभियुक्त सौरभ श्रीवास्तव की ओर से उपरोक्त मुकदमे में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ अभियुक्त की माँ माला श्रीवास्तव का शपथपत्र संलग्न किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि वादी मुकदमा के द्वारा मुकदमा पंजीकृत करवाया था जो की कथित घटना के कई दिनो के बाद पंजीकृत करवाया गया है। प्रार्थिनी का पुत्र एक सीधा शादा मेहनत करके अपना व अपने परिवार का पेट पालने वाले व्यक्ति है। उसका न तो क्षेत्र मे किसी से कोई विवाद है न ही आज तक झगड़ा ही हुआ है। थाना ग्वालटोली की पुलिस व वादी मुकदमा के द्वारा उक्त मुकदमे मे फंसाया गया है। उसका उक्त क्रिया कलाप से किसी प्रकार का कोई भी लेना देना नही है। प्रार्थिनी के पुत्र को झूठी गिरफ्तारी दिखा कर गलत व गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है व कई दिन कोहना थाने में रखने के बाद जेल भेजा गया। जिसमे बाद मे बरामदगी के उक्त मुकदमे में जोड़ा गया है। प्रार्थी का पुत्र ही एक मात्र परिवार का सहारा है। वह प्राइवेट नौकरी करता है। उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई कार्य नही किया गया है। उक्त मुकदमे से पूर्व प्रार्थिनी के पुत्र का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थिनी के पुत्र का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके अतिरिक्त प्रार्थी के पुत्र का अन्य कही जमानत प्रार्थना पत्र न तो प्रस्तुत किया गया है न ही लम्बित है न ही विचाराधिन है। प्रार्थिनी के पुत्र को यदि जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा और न ही गवाहन पर बेजा असर डालेगा तथा प्रत्येक नियत तिथि पर माननीय न्यायालय उपस्थित आता रहेगा। उपरोक्त परिस्थितियों में प्रार्थिनी के पुत्र को दौरान मुकदमा विचारण जमानत/मुचालके पर रिहा किया जाना न्यायहित में न्यायसंगत होगा। प्रार्थी/अभियुक्त का एक जमानत प्रार्थनापत्र महानगर मजिस्ट्रेट सप्तम कानपुर नगर से दिनांक 25.07.2022 को निरस्त किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है इस जमानत प्रार्थनापत्र के अतिरिक्त कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय द्वारा न तो निरस्त किया गया है और न ही किसी न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार की जाती है तो प्रार्थी माननीय न्यायालय को पूर्ण रूप से आश्वस्त करता है कि प्रार्थी/अभियुक्त माननीय न्यायालय के आदेशों का विधिवत अक्षरश: पालन करेगा। प्रार्थी/अभियुक्त माननीय न्यायालय के समक्ष वास्ते विचारण समय में उपस्थित रहेगा। प्रार्थी/अभियुक्त साक्षियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित नहीं करेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्त पर वादी मुकदमा की मोटर साईकिल को चोरी करने तथा उक्त मोटर साईकिल को अभियुक्त के पास से बरामद होने का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पाने पर जमानत शर्तों का उल्लंघन करेगा तथा पुनः अपराध कारित करेगा। तदनुसार जमानत आवेदन पत्र को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा संपूर्ण केस डायरी सहित पत्रावली का अवलोकन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को एवं केस डायरी व पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी मुकदमा आशीष प्रजापति की तहरीर के आधार पर संबंधित थाने पर एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध धारा 379 भा.दं.सं. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर, विवेचना की कार्यवाही प्रचलित की गयी। दौरान विवेचना अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके पास से इस मुकदमें से संबंधित चोरी मोटर साईकिल बरामद होने का आरोप है। पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त नामजद नहीं है। अभियुक्त का नाम विवेचना के दौरान प्रकाश में आया है। फर्द बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है एवं प्रकरण में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किा जा चुका है। अभियुक्त दिनांक 14.07.2023 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों, अपराध की प्रकृति तथा अभियुक्त द्वारा कारागार में व्यतीत की गयी अवधि को दृष्टिगत रखते हुये, प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में जमानत का आधार पर्याप्त हैं। तदनुसार प्रकरण के गुण–दोष पर टिप्पणी किये बिना, न्यायालय के मत में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त सौरभ श्रीवास्तव को मुकदमा अपराध संख्या–124/2023, अंतर्गत धारा–379,411 भा.द.सं., थाना–ग्वालटोली, जिला–कानपुर नगर के प्रकरण में मु० 50,000/–(पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इतनी ही राशि के दो प्रतिभू संबधित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर रिहा किया जाता है कि वह गवाहों को डरायेगा व धमकायेगा नहीं, विचारण में सहयोग करेगा, जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा तथा प्रत्येक तिथियों पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कार्यवाही में सहयोग करेगा।

आदेश की एक प्रति रिमाण्ड प्रपत्र अथवा मूल प्रति के साथ संलग्न किये जाने हेतु सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित हो।

आदेश की एक प्रति जेल अधीक्षक जिला कारागार कानपुर नगर को जरिये ई–मेल इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाये की आदेश का इन्द्राज **e–prison software** में करे और यदि सात दिन के अन्दर अभियुक्त रिहा नहीं होता है तो उसकी सूचना अविलम्ब सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रदान करे। इसके अतिरिक्त यदि अभियुक्त आदेश पारित होने के एक माह तक रिहा नहीं होता है तो इसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय, जिसके द्वारा आदेश पारित किया गया है, को अविलम्ब प्रेषित करे।

(नीलांजना)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या 20, कानपुर नगर।

Digitally signed by NEELANJANA
Date: 2023.08.08 16:50:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court